सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र

प्रेषक:
वी. के. गौड़,
मकान नं. – सी-115, गली नं. – 8,
कान्ती नगर एक्सटेंशन,
दिल्ली – 110051.

प्रेषित:
मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ),
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
'सौदामिनी', प्लॉट नं.-02, सेक्टर- 29,
गुरुग्राम (हरियाणा)-122001.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम क़ानून के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन |

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम क़ानून 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत नीचे लिखे प्रश्नों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने का श्रम करावें |

1. पावरग्रिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज/सूची मय पिता/पती का नाम, कर्मचारी संख्या व तैनाती स्थल सहित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें जिनके स्पाऊस केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/ पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं।
2. पावरग्रिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज/ सूची मय पिता/पती का नाम, कर्मचारी संख्या व तैनाती स्थल सहित उपलब्ध करावें जिनके स्पाऊस केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/ पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं, तथा पति / पत्नी दोनों ही एच.आर.ए./लीज ले रहें है उनके प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।
3. पावरग्रिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज/ सूची प्रदान करें जिनके स्पाऊस केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं एवं वे कार्यपालक अपने स्पाऊस का चिकित्सा पुनरभरण दावे पावरग्रिड में प्रस्तुत कर भुगतान ले रहें हैं अथवा नहीं संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।
4. पावरग्रिड विभाग में कार्यरत ऐसे कार्यपालकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज/ सूची कार्यपालक जिनके स्पाऊस केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं तथा वे अपने स्पाऊस और आश्रित सदस्यों का चिकित्सा पुनरभरण पावरग्रिड से लेते हैं, तो क्या पावरग्रिड के प्रबंधन द्वारा कार्यपालक का स्पाऊस जहाँ कार्यरत है उस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा पुनरभरण अन्यत्र विभाग से लेने हेतु चिकित्सा पुनरभरण नियमान्तर्गत एन.ओ.सी. संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।
5. पावरग्रिड विभाग में शादी के उपरांत विगत वर्ष 2009 से कार्यरत ऐसे महिला कार्मिकों के विवरण का प्रमाणित दस्तावेज/ सूची जिनके स्पाऊस केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पावरग्रिड और ऑटोनोमस बॉडी में कार्यरत हैं तथा वे अपने स्पाऊस और आश्रित सदस्यों का चिकित्सा पुनरभरण हेतु पावरग्रिड के प्रबंधन द्वारा उस विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा पुनरभरण अन्यत्र विभाग से लेने हेतु चिकित्सा पुनरभरण नियमान्तर्गत एन.ओ.सी. संदर्भित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।

सधन्यवाद सहित प्रेषित,

भवदीय

(वी.के.गौड़)

दिनांक: 'सोमवार' 21, मार्च, 2023.